



सिलवासा नगर पालिका  
SILVASSA MUNICIPAL COUNCIL  
संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव  
U.T. OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN &  
DIU,  
सिलवासा /SILVASSA



No.SMC/CO/GNL/Media/2018/236/ 1271

Date 11/05/2022

प्रेस नोट

सिलवासा नगर परिषद द्वारा सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है, कि पर्यावरण नियंत्रण समिति (DNH & DD) के परिपत्र सं. PCC/DDD/PW (Part-IV)/2019-20/30 के अनुसार सिलवासा नगर परिषद क्षेत्र में 75 माइक्रान से कम मोटाई की प्लास्टिक प्रतिबंधित है, और 31 दिसम्बर, 2022 से 120 माइक्रान से कम मोटाई की प्लास्टिक सिलवासा क्षेत्र में प्रतिबंधित हो जाएगी।

इस के अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (हैंडलिंग और प्रबंधन) (संशोधन), 2020 के अनुसार निम्नलिखित सभी वस्तुएँ भी प्रतिबंधित हैं। इसका उपयोग एवं बिक्री करना दंडनीय अपराध है।

1. एकल प्रयोग थर्मोकोल/ प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएँ (थालियाँ, कप, ग्लास, कटोरी, कांटे वाला चम्मच, चाकू, चम्मच, स्टीरर और प्लास्टिक स्ट्रॉ) साथ में बहुसतहीय प्लास्टिक से बनी कटलरी।
2. थर्मोकोल/ स्टेरोफ़ोम (थालियाँ, कप, ग्लास, कटोरी, इत्यादि)।
3. एकल उपयोग प्लास्टिक पात्र (थालियाँ, कटोरी, ग्लास, ट्रे, ढक्कन) 250 माइक्रान से कम जो भोजन/तरल वस्तुओं की पैकेजिंग/कवरिंग के लिए इस्तेमाल होता है।
4. खाद्य वस्तुओं के पैकेजिंग के लिए उपयुक्त चांदी/ एल्युमिनियम पत्री के नाम से बिकने वाला प्लास्टिक एवं थर्मोकोल।
5. पीने के पानी के सीलबंद गिलास और प्लास्टिक मिनरल वाटर पाउच।
6. एकल उपयोग रेजर।
7. एकल उपयोग पेन।
8. सजावट के उपयोग में लाए जाने वाले थर्मोकोल।
9. सजावट के उपयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक जैसे पैपिंग/पैकेजिंग शीट, फ़िल्स, माला, कंफ़ेट्टी (confetti), पार्टी ब्लूपर्स, प्लास्टिक रिबन इत्यादि।
10. गैर-बुना पॉलीप्रोपीलीन बैग।
11. प्लास्टिक/पॉलिथीन थैलिया।
12. सिंगल यूज प्लास्टिक कंटेनर (दही, खीर, आइसक्रीम के लिए प्रयुक्त) 250 माइक्रोन से कम।
13. 50 मि.ली./50 ग्राम और उससे कम की पैकेजिंग क्षमता वाले प्लास्टिक के पाउच।
14. ईयरबड्स, गुब्बारों, झंडों और कैंडीज के लिए प्लास्टिक की छड़ी।
15. प्लास्टिक रिफिल पाउच जिसकी मात्रा 500 मिली.से कम है।
16. प्लास्टिक स्ट्रॉ टेट्रा पैक के साथ जुड़ा हुआ है।

*Mony*  
मुख्य अधिकारी  
सिलवासा नगर पालिका  
सिलवासा